

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति
राजनांदगांव विकासखंड व जिला राजनांदगांव छ0ग0

क्रमांक/116/योजना/अंग्रेजी माध्यम/संविदा नियु.2023
// आदेश //

राजनांदगांव, दिनांक 02/02/2023

छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के आदेश क्रमांक/एफ 23-08/2020/20-3/36 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 के तहत संविदा/प्रतिनियुक्ति के पद स्वीकृति फलस्वरूप कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/956/योजना/स्वा.आ.अं.मा.वि./भर्ती/2022 राजनांदगांव दिनांक 27.12.2022 द्वारा शालावार/पदवार/विषयवार आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिले में संचालित सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव में चयन समिति द्वारा मेरिट के आधार पर संविदा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख पदनाम, विषय एवं माध्यम पर निम्न शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान किया जाता है।

क	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	विषय	वर्ग	माध्यम	एकमुश्त वेतन	पता
1	नलिनी कौशिक	श्री अनिल कुमार कौशिक	व्याख्याता	रसायन	अनारक्षित	हिन्दी	38100	क्वा. नं. सी-1 गार्डन के सामने विद्या उपनगर बिलासपुर 495001
2	वेदप्रकाश साहू	श्री महेन्द्र कुमार साहू	शिक्षक	अंग्रेजी	अनारक्षित	अंग्रेजी	35400	57/1 मुड़पार पो. उपरवाह तह. राजनांदगांव 491444
3	अमन मोटवानी	श्री मनोज कुमार मोटवानी	शिक्षक	समाजिक विज्ञान	अनारक्षित	अंग्रेजी	35400	अभिलाषा परिसर नया रायपुर बस स्टैण्ड बिलासपुर, मकान नं. 203 बिलासपुर 495001
4	नितेश कुमार	श्री प्रेम कुमार	शिक्षक	गणित	अनारक्षित	हिन्दी	35400	ग्राम व पो. करगी, पुराना बस स्टैण्ड के पास तह. व वि.य. कसडौल, बलौदाबाजार 493344
5	गौरव देवांगन	श्री बालक राम देवांगन	सहायक शिक्षक प्रयोगशाला	विज्ञान	अनारक्षित	अंग्रेजी	25300	तुलसीपुर बस्तावर चाल लहरी सदन राजनांदगांव 491441

—: नियम एवं शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है। शासन द्वारा यदि उक्त शाला में नियमित शिक्षको की नियुक्ति की जाती है अथवा चयनित कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य व्यवहार के असंतोषजनक पाये जाने के आधार पर किसी भी समय समिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
2. संविदा नियुक्ति पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के अतिरिक्त विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा की पात्रता नहीं होगी।
3. संबंधित कर्मचारी को दिनांक 09.02.2023 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में समिति का निर्णय मान्य होगा।
4. संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक के लिये होगी। कार्य मूल्यांकन एवं निष्पादन पत्रक के आधार पर संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढाई जा सकती है।

5. यह नियुक्ति छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3/ रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के अधीन होगी। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा

MS
1
15/12